यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** के माह 09/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **दीपक मालवीय एवं श्री भानु प्रताप सिंह** , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 30.08.2018 से 12.09.2018 तक श्री **ए सी कटियार,** वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2017 से 25.09.2017 तक श्री

2. राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। जिसमें माह 04/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

3. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओ के कार्यकलापों का कार्य तथा इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	बचत/आधिक्य ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	
2015–16	NIL	NIL	80.43	77.57	2.86	11016.93	10951.93	65.00
2016–17	NIL	NIL	99.00	93.34	5.66	18101.82	13766.71	4335.11
2017–18	NIL	NIL	105.68	53.87	51.81	3220.70	2614.89	605.81

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

Fully or Partially funded by GoI

(₹ in crore)

Scheme/Programme	Budget Provision	Release	Expenditure	Saving/Excess	Surrender	Transferred to PLA/Bank
2015-16						
Post metric scho SC	3.81	3.81	3.81	NA	NA	NA
Atyachar	0.08	0.08	0.08	NA	NA	NA
OBC scho	6.68	6.68	6.68	NA	NA	NA
Divyang pension	0.68	0.68	0.68	NA	NA	NA
Old age pension	7.58	7.58	7.58	NA	NA	NA
National family benefit scheme	2.28	2.28	2.28	NA	NA	NA
Post metric scho ST	1.51	1.51	1.51	NA	NA	NA
2016-17						
Post metric scho SC	45.95	45.95	16.05	NA	29.90	NA
Atyachar	7.39	7.39	7.39	NA	NA	NA
OBC scho	5.25	5.25	0.12	NA	5.12	NA

Divyang pension	0.27	0.27	0.27	NA	NA	NA
Old age pension	10.45	10.45	9.75	NA	NA	0.70
National family benefit scheme	2.87	2.87	2.87	NA	NA	
Post metric scho ST	19.38	19.38	11.10	NA	8.28	NA
2017-18						
Post metric scho SC	44.15	44.15	37.24	NA	5.53	1.38
Atyachar	0.09	0.09	0.09	NA	NA	NA
OBC scho	4.69	4.69	2.44	NA	2.25	NA
Divyang pension	0.19	0.19	0.19	NA	NA	NA
Old age pension	12.62	12.62	12.62	NA	NA	NA
National family benefit scheme	1.60	1.60	1.60	NA	NA	NA
Post metric scho ST	17.12	17.12	7.09	NA	10.03	NA

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, समाज कल्याण → निदेशक, → समाज कल्याण → जिला समाज कल्याण अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में निदेशालय, **जनजाति** कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।, गौरा देवी योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनांतर्गत किये गये अधिकतम व्यय आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-01- "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर वर्ष 2014-17 से संबन्धित 751 पात्र बालिका लाभार्थियों का ₹ 375.50 लाख की सहायता राशि से वंचित रहना।

गौरा देवी कन्या धनयोजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से बी.पी.एल. परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 15,976/- तथा शहरीर क्षेत्र में रु. 21,206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत रु. 50,000/- के राष्ट्रीयकृत बैकों की एफ.डी. के रुप में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जानी थी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार, के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक, संबन्धित अनुसूचित जाति की 494 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली रु. 375.50 लाख की धनराशि का भुगतान, उक्त योजना को समाज कल्याण विभाग से हटा कर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" के रूप में संचालित किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-17 की अवशेष बालिका लाभार्थियों हेतु समाज कल्याण विभाग को बजट आबंटित न किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-17 से संबन्धित 751 पात्र बालिका लाभार्थी विगत दो वर्षों से उक्त योजना के अंतर्गत उनको मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों को शासन निदेशालय स्तर से वांछित बजट की मांग करने शीघ्र ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि विभागीय शिथिलता के परिणामस्वरूप ही जिन पात्र बालिकाओं को वर्ष 2014-17 में लाभान्वित किया जाना था वे संप्रेक्षा तिथि जून 2018 तक उक्त सहायता से वंचित थीं।

अतः विभागीय स्तर पर गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-17 से संबन्धित 751 पात्र बालिका लाभार्थियों का रु. 375.50 लाख की सहायता राशि से वंचित रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- सरकारी धन का बैंक खातों में अवरुद्ध पड़ा रहना रु. 425.23 लाख।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित रु. 425.23 लाख की धनराशि विगत तीन से चार वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी इकाई स्तर पर खोले गए पाँच बैंक खातों में निम्नानुसार अवरुद्ध रखी गई है।

योजना का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	वर्ष जब से धनराशि अवरुद्ध है	धनराशि
सामान्य जाति कन्या धन	एस.बी.आई, रोशनाबाद	30670139752	2014-15	31.00
वृद्धावस्था पेंशन	एस.बी.आई, रोशनाबाद	30670139752	2014-15	0.36
वृद्धावस्था पेंशन	इलाहाबाद बैंक हरिद्वार	50134329882	2013-14	36.69
अनुसूचित जाति अवस्थापना सुविधाएं	एक्सिस बैंक हरिद्वार	917020068862555	2014-15	244.85
वृद्धावस्था पेंशन	एक्सिस बैंक हरिद्वार	917020068862555	2014-15	25.36
वृद्धावस्था पेंशन	पी.एन.बी. बैंक हरिद्वार	6021000100033905	2014-15	68.50
दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	यस. बैंक हरिद्वार	061088700000050	2013-14	18.47
योग				425.23

जबकि उक्त धनराशि शासन स्तर से अवमुक्त करते समय संबंधित शासनादेश में स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया था कोषागार से उतनी ही धनराशि आहत की जाएगी जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता हो। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखी जाएगी।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा में इंगित किये जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त यथाशीघ्र विभिन्न खातों में अवरुद्ध धनराशि को विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई का उत्तर धनराशि बैंक खातों में संबंधित शासनदेशों में दिये गये निर्देशों के विपरीत अवरुद्ध रखी गई है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर–3:– विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल पात्र लाभार्थियों वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभागीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोंटल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये थे कि समस्त छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन दिनांक 15.02.2018 को पत्र प्रस्तुत किया जाना समस्त औपचारिकताओ को पूर्ण करते हुए दिनांक 31.03.2018 तक सभी पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण कर दिया जाना था।

कार्यालय जिला समाज कल्याण हरिद्वार की दशमेत्तर छात्रवृति से संबधित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 के कुल अनुमानित 20541 पात्र लाभार्थियों को लेखा परीक्षा तिथि (सितंबर 2018) तक सत्यापन का कार्य भी पूर्ण नही किया जा सका था जिस कारण पात्र लाभार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने से बंचित रहे।

उक्त के संबंध में इकाई को इंगित किये जाने पर इस संबंध में अवगत कराया गया कि सत्यापन का कार्य गतिमान है। इकाई के उत्तर से स्वंमेव पुष्टि होती है कि विभागीय शिथिलता के कारण पात्र लाभर्थी वर्तमान तक योजना का लाभ लेने से वंचित रहे तथा भारत सरकार को त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजा गया।

अतः विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2017–18 के कुल पात्र लाभार्थियों वर्तमान तक योजना का लाभ न मिलने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
18	2010-11	06	02	शून्य
27	2011-12	01	02	शून्य
62	2012-13	शून्य	03	01
25	2014-15	शून्य	02	02
36	2016-17	शून्य	09	शून्य
88	2017-18	शून्य	11	01
योग		**07**	**29**	**04**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से संबन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों की अदद्यतन अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार (लेखा कार्यालय) उत्तराखंड, देहारादून को शीघ्र प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	**दीपराज अग्निहोत्री**	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजकि क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)